THE MINISTER OP HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, *Sit*

(b)*and (c) The news item relates to the directions of the Supreme Court of India issued in a public interest litigation — Writ Petition (Civil) No. 559 of 1994, R.D. Upadhyay versus State of Andhra Pradesh and Others. These directions pertain to pending criminal cases in different courts and requirement of additional courts for speedy disposal of the pending cases and release, on bail, of undertrial prisoners who have been in jail for more than six months in connection with offences under sections 107 and 151 Cr.P.C. The directions have been brought to the notice of the Registries of all High Courts and Home Secretaries of all State Governments/UT Administrations for taking appropriate action.

**Views of former CBI Director on work assessment**

2371. SHRI O. P. KOHLI: Will the Minister
of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item which appeared in the Times of India dated the 4th January, 1999 under the caption, "Arbitrary assessment of work makes police brass insecure"; and

(b) if so. Government's reaction to the views expressed by the former CBI Director, Shri Rajendra Shekhar, as also to the suggestions for Improvements given by him?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) Assessment of the work of officers is done at 3 levels having an in-built system of checks and balances.

Police Reform is a continuous process and improvements are made whenever necessary.

**मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग**

2372. **श्री लक्खीरमा अग्रवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1998 तथा जनवरी, 1999 के दौरान मध्य प्रदेश में कितने लोगों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग किया गया,

(ख) उनमें से कितने लोगों को गृह सचिव और मंत्रणा बोर्ड द्वारा मुक्त किया गया,

(ग) उक्त अधिनियम के तहत कितने लोग अभी जेल में है, और

(घ) क्या इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को सूचित करने का कोई प्रावधान हैं ?

**गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी)** : (**क**) 227

(**ख**) **गृह सचिव द्वारा** : 21

**सलाहकार बोर्ड द्वारा** : 153

(**ग**) 44

(**घ**) **जी हां, श्रीमान।**

**बाजार में दाऊद द्वारा भेजे गए जाली नोटों का फैसला**

2373. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** :

**श्री रामवजी** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 दिसम्बर, 1998 को नवभारत टाइम्स में "दाऊद के भेजे जाली नोट बाजार में फैले" शीर्षक से छपी खबर की ओर आकर्षित किया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

**गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) :** (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् उपलब्ध सूचना के अनुसार, 24,99.500/- रूपये मूल्य के 500/- रूपये के जाली मुद्रा नोट 25 नवम्बर, 1998 को नई दिल्ली में जब्त किए गए थे । इस सबंध में दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे ।

(ग) भारत के संविधान के अनुसार " लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच-पड़ताल करना और उनका पता लगाना और अपराधों की रोकथाम करना निश्चित रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ।

जनता को असली और जाली नोटों के बीच अन्तर करने में समर्थ बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, समय-समय पर , प्रैस विज्ञाप्तियां जारी करता है । जाली मुद्रा नोटों के परिचालन को रोकने की दृष्टि से नोट अब अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ छापे जा रहे हैं । केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने केवल जाली मुद्रा नोटों की ही जांच के लिए एक विशेष यूनिट स्थापित की है । सीमा सुरक्षा बल ने अपनी अग्रिम टुकडियों को अधिक चौकस रहने के लिए सतर्क कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके